कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायगढ़ (छ0ग0)

//आदेश//

क्रमांक/4916/कोरोना सेल/2021 रायगढ़, दिनांक 11/06/2021

इस कार्यालय के आदेश क्र0 4660/कोरोना सेल/2021 दिनांक 05/06/2021 एवं सहपठित आदेश क्र0 4721/ कोरोना सेल/2021 दिनांक 07/06/2021 के माध्यम से रायगढ जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट घोषित करते हुए जिला रायगढ में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध अधिरोपित किये गये हैं। वर्तमान परिस्थितियों में भी सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध निरंतर जारी रखा जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1987 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त भाक्तियों के अधीन इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/4660/कोरोना सेल/2021, दिनांक 05.06.2021 एवं आदेश क्रमांक/4721/कोरोना सेल/2021, दिनांक 07.06.2021 को अधिक्रमित करते हुए **मैं, भीम सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला रायगढ़** निम्नलिखित आदेश प्रसारित करता हूँ :–

1. निम्नलिखित गतिविधियां आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी :–
   - I. सभी स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल/थियेटर, पार्क तथा अन्य सार्वजनिक स्थल बंद रहेंगे।
   - II. स्कुल एवं कॉलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेंगे। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेस एवं अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी।
   - III. सभी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन, सामाजिक, राजनैतिक, खेल एवं धार्मिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। रिसॉर्ट तथा सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल इत्यादि व अन्य सार्वजनिक स्थल समूह आयोजन आम जनता हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें।
2. कंडिका (1) अनुसार प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सुपर मार्केट, सुपर बाजार, फल, दूध एवं सब्जी मंडी/बाजार अनाज मंडी, शो–रूम, क्लब, मदिरा दुकानें इत्यादि रविवार को छोड़कर अन्य दिवस में प्रातः 06:00 बजे से सायं 07:00 बजे तक खोले जा सकेंगे।
3. सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा एवं जिम प्रातः 06:00 बजे से सायं 07:00 बजे तक संचालित होंगे। दुकान में आने वाले ग्राहकों को उपयोग होने वाले वस्त्र/कपड़े स्वयं लाना होगा, संचालक को इसकी जानकारी/सूचना दुकान के बाहर प्रदर्शित/चस्पा करना अनिवार्य होगा। संचालक स्वच्छता का विशेष ध्यान रखेंगे एवं एक व्यक्ति में उपयोगित उपकरण/सामाग्री को सैनेटाईज करने के पश्चात् ही उपयोग में लायेंगे। साथ ही ग्राहकों का नाम पता मोबाईल नम्बर की जानकारी रजिस्टर में संधारित करेंगे।
4. होटल, रेस्टोरेंट्स, क्लब एवं बार रात्रि 10:00 बजे तक खुल सकेंगे। आउट–साइड डाइनिंग की भी अनुमति होगी किन्तु डाइनिंग हॉल/रूम में उनकी बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं होगी। होटल, रेस्टोरेंट्स ऑनलाईन/टेलीफोनिक ऑडर पर होम डिलीवरी तथा टेक–अवे को प्राथमिकता देगें। क्लब–रेस्टोरेंट्स, होटल से डिलीवरी का समय पूर्ववत रात्रि 09:00 बजे तक तथा आम जनता/ग्राहक के निवास तक होम डिलीवरी का अधिकतम समय रात्रि 10:00 बजे तक ही होगी।
5. सभी ठेले/गुमटी का संचालन प्रातः 06:00 बजे से सायं 07:00 बजे तक की जा सकेगी। दो ठेलों के बीच 03 मीटर की दूरी रखना होगा, बिना मास्क धारण किये ग्राहकों को समान विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। ठेला में भीड़ होने के स्थिति में ठेला संचालक के विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी।

Scanned with CamScanner

6. आवश्यक वस्तुओं/माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन/मंडियों में थोक माल/कार्गो/फल/सब्जी लोडिंग/अन–लोडिंग की अनुमति रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक रहेगी।
7. वैवाहिक कार्यक्रम वर अथवा वधु के निवास–गृह के अतिरिक्त होटल/मैरिज गार्डन में आयोजित की जा सकेगी, जिसमें व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 50 तथा अंत्येष्टि, दशगात्र, मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या 20 निर्धारित की जाती है। मैरिज हॉल संचालक कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों का नाम, पता, मोबाईल नम्बर की जानकारी रजिस्टर में संधारित करेगा, जिसकी एक प्रति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को देना अनिवार्य होगा। कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों को मास्क पहनना एवं समय–समय पर साबुन से हाथ धोना/सेनेटाईज करना तथा कार्यक्रम आयोजन हेतु नियमानुसार संबंधित अनुविभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। आयोजक को कोविड–19 के प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा।
8. रायगढ़ जिले के सभी कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ सोशल डिस्टेंस, मास्क तथा सेनिटाईजर का उपयोग एवं कोरोना गाईडलाईन के अनुरूप प्रोटोकाल का पालन करते हुए पूर्ण रूप से कार्यालय खोले जायेंगे। बैंक/उप–पंजीयक कार्यालय जहां अधिक भीड़ लगती है, वहां सोशल डिस्टेंस, मास्क का अनिवार्यतः उपयोग कर एक निर्धारित अंतराल अवधि में व्यक्ति/उपभोक्ताओं को बुलाया जावे जिससे अनावश्यक भीड़ न हो, को दृष्टिगत् रखते हुए पूर्ववत टोकन/ऑनलाईन सिस्टम के साथ संचालित होंगे। टेलीकॉम, रेलवे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख–रखाव से जुड़े कार्यालय/वर्कशॉप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग–अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन की अनुमति पूर्ववत रहेगी।
9. सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु–चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में संचालन की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें।
10. पेट्रोल पंप, गैस एजेन्सी एवं मेडिकल दुकानें पूर्ण समयावधि तक खुल सकेगें किन्तु गैस एजेंसियॉ टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर के माध्यम से ग्राहकों को गैस सिलेन्डरों की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगी।
11. शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य अधिकारी रायगढ़ द्वारा निर्धारित समयावधि में मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिग, नियमित सेनिटाइजेशन एवं भीड़–भाड़ नही होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति होगी।
12. **सभी संचालित दुकानों में निःशुल्क वितरण/विक्रय हेतु मास्क रखना तथा दुकान में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहको के उपयोग हेतु सेनिटाईजर रखना अनिवार्य होगा।** होम डिलीवरी व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड–19 जॉच कराना आवश्यक होगा साथ ही होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।
13. प्रतिदिन सायं 07.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक **रात्रिकालीन लॉकडाउन** लागू रहेगा, जिसके दौरान होटल/रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी तथा थोक माल/वेयरहाउस/कार्गो/फल/सब्जी की लोडिंग/अन–लोडिंग की अनुमति निर्धारित समयावधि में रहेगी। आपातकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।
14. **प्रत्येक रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रखा जावेगा, जिसके दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप तथा इस आदेश द्वारा निर्धारित समयावधि में शासकीय उचित मूल्य दुकानें, एल.पी.जी., न्यूजपेपर, दुग्ध तथा अनुमति प्राप्त अन्य वस्तुओं/सेवाओं की होम डिलीवरी के संचालन की ही अनुमति होगी।**

Scanned with CamScanner

15. आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 03, ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 03 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी।

16. उपरोक्त अवधि में रेल, बस व हवाई यात्रा हेतु रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन व एयरपोर्ट पर आने–जाने वाले यात्रियों को किसी पास की आवश्यकता नहीं होगी। यात्रियों को निवास/स्टेशन तक आने–जाने हेतु उनका टिकट ही ई–पास होगा। अपरिहार्य स्थितियों में रायगढ़ जिले से अन्यत्र आने जाने वाले यात्रियों को **ई–पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना होगा** तथापि प्रतियोगी/अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेलवे/पोस्टल/टेलीकॉम/एयरपोर्ट संचालन एवं रख–रखाव कार्य या हास्पिटल या कोविड–19 या वेक्सीनेशन ड्यूटी में संलग्न अधिकारियों/कर्मचारियों/चिकित्सकों हेतु नियोक्ता द्वारा जारी आईडी कार्ड ई–पास के रूप में मान्य किया जावेगा।

17. आम जनता से यह अपेक्षा की जाती है कि अति आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकले एवं निकलते समय अनिवार्य रुप से मास्क धारण करते हुये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। भीड़–भाड़ वाले क्षेत्र में दोहरे मास्क का उपयोग करना अपेक्षित है।

18. **मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा। किसी भी दुकान/प्रतिष्ठान द्वारा ग्राहकों को बिना मास्क के सामान विकय किया जाता है या फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुये भीड़–भाड़ एकत्रित कर या राज्य शासन/इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने एवं 30 दिवस हेतु दुकान सील करने की कार्यवाही की जावेगी।**

19. यह आदेश कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक (शहर/ग्रामीण/यातायात), मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, अस्पताल, थाना एवं पुलिस चौकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवायें जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी।

20. राज्य शासन या इस कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी।

इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड सहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51–60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश दिनांक 14.06.2021 से प्रभावशील होगा एवं आगामी आदेश पर्यन्त लागू रहेगा।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी,
रायगढ़ (छ.ग.)

Scanned with CamScanner

पृ.कमांक/4916–A/कोरोना सेल/2021 रायगढ़, दिनांक 11/06/2021

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर
5. आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर
6. पुलिस महानिरीक्षक, बिलासुपर
   ——की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
7. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
8. पुलिस अधीक्षक, रायगढ
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायगढ
10. आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ़
11. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायगढ़
12. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला रायगढ़
13. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला रायगढ़
14. सर्व तहसीलदार/कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला रायगढ़
15. खाद्य अधिकारी, रायगढ़
16. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत जिला रायगढ़
17. सर्व थाना प्रभारी, जिला रायगढ़
    —— की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
18. जिला परिवहन अधिकारी, रायगढ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। रायगढ़ जिला अन्तर्गत आवागमन के दौरान वाहनों के संबंध में इस आदेश का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करें।
19. उप संचालक, जनसंपर्क, रायगढ़ को सूचनार्थ एवं निःशुल्क प्रकाशनार्थ हेतु।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी,
रायगढ़ (छ.ग.)

Scanned with CamScanner